

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगपुर सिटी  
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर

38/2025

तारीख रजू

9.7.2025

तारीख निर्णय

29.9.2025

गोविन्द पुत्र हरिप्रसाद अग्रवाल निवासी मच्छीपुरा तहसील तलावडा —प्रार्थी  
बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील तलावडा —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट  
उपस्थित:— प्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख०नं० 271 ग्राम मच्छीपुरा तहसील तलावडा में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम हरि लाल दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम हरिप्रसाद है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम हरिप्रसाद दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख०नं० 271 ग्राम मच्छीपुरा तहसील तलावडा में प्रार्थी के पिता का नाम हरिलाल के स्थान पर हरिप्रसाद दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं० 2071 से 2074 खाता संख्या 290 ग्राम मच्छीपुरा, छायाप्रति पत्र दिनांक 26.4.2025 प्रशासक, ग्राम पंचायत बूचोलाई, फोटोकोपी आधार कार्ड प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार तलावडा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.9.2025 के साथ पटवारी हलका अमरगढ एवं भू-अभिलेख निरीक्षक कुनकटाकलां की रिपोर्ट, मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 18.8.2025, फोटोकोपी जन आधार कार्ड प्रार्थी गोविन्द प्रसाद, फोटोकोपी आधार कार्ड गोविन्द प्रसाद आदि भिजवाए हैं। अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार तलावडा ने प्रार्थी का नाम गोविन्द प्रसाद पुत्र हरिप्रसाद होना बताया है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम सही करने का निवेदन किया है।

वहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार तलावडा, मौका पर्चा पटवारी मच्छीपुरा व भू-अभिलेख निरीक्षक कुनकटाकलां फोटोकोपी आधार कार्ड, जनाधार कार्ड आदि का अवलोकन किया। इन सब



*Prasad*  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगपुर सिटी (राज०)

( 2 )

के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का नाम हरिप्रसाद है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश


अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मच्छीपुरा की जमाबंदी सं० 2071 से 2074 के खाता संख्या 290 में दर्ज प्रविष्टि "गोविन्द पुत्र हरि लाल हिस्सा- 1/2 जाति अग्रवाल सा० देह खातेदार" के स्थान पर प्रविष्टि " गोविन्द प्रसाद अग्रवाल पुत्र हरिप्रसाद हिस्सा- 1/2 जाति अग्रवाल सा० देह खातेदार" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। जमाबंदी में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
( बृजेन्द्र मीना )  
उप जिलाकलेक्टर  
गंगानपुर सिटी  
गंगानपुर सिटी (राज०)